संख्या-82/2026/I/1461627/2026/71-2099/840/2019

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14-09-2026

विषयः-के0जी0एम0यू0 के शिक्षकों को एस0जी0पी0जी0आई0 के शिक्षकों के समान अधिवर्षता आयु 65 वर्ष पर सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9357/बी0-2023, दिनांक 01.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से के0जी0एम0यू0 के शिक्षकों को दिनांक 01.01.2016 से एस0जी0पी0जी0आई0 के शिक्षकों के समान अधिवर्षता आयु 65 वर्ष पर सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-335/71-2-2019-के0जी0एम0यू0-02/2018, दिनांक 19.07.2019 के बिन्दु (6) सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी के उपबिन्दु (II) में उल्लिखित व्यवस्था संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि के0जी0एम0यू0 के संकाय सदस्यों के दिनांक 01.01.2016 के पश्चात 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए अथवा मृत संकाय सदस्यों के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिवर्षता आयु राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के अधीन 65 वर्ष की गयी है तथा जिनमें अधिवर्षता आयु का विवरण 'विकल्प' के रूप में उपलब्ध नहीं है, सामान्य रूप से अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्ति पर अनुमन्य सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य रहेंगे बशर्ते इस संबंध में कोई अन्यथा निर्णय न लिया गया हो।

3- कृपया उक्त के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. कुलपति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
6. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।